

सर्व शिक्षा अभियान, सारण।

निजी विद्यालयों के प्रस्वीकृति से संबंधित

प्रपत्र -II

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक एवं सर्व शिक्षा अभियान)

पत्रांक :—SSA/Aff.2016-17/0236/108,...../SSA दिनांक 25.08.2017

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक,
डी०ए०भी० पब्लिक स्कूल, नरायण नगर नेवाजी टोला, चौक,
छपरा सदर, सारण।

विषय :— बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अंतर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय / महाशया,

आपके आवेदन पत्र के आलोक में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गये निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय को कक्षा -1 से कक्षा 8 तक संचालन हेतु 03 वर्षों (25 मार्च 2017 से 24 मार्च 2020) की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बार मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा-1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमज़ोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों को करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कंडिका 03 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा -02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान नहीं प्राप्त किया जाएगा, तथा किसी भी बच्चा, उसके माता-पिता या अभिभावक का परीक्षण नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसकी उप्र प्रमाण-पत्र, नामांकन के विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म-स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएँ:-
 - i. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
 - ii. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारिरीक दण्ड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
 - iii. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार का बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
 - iv. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम- 22 के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - v. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग / विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
 - vi. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा 1 में, उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में

6/2017

कार्येतर वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 05 वर्षों के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।

- vii. शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा 01 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
- viii. शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण—गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्चा का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।
11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएं अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अंतर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान) को भेजी जाएगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या 0236 है। इस कार्यालय से किसी भी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृप्या अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (प्रारंभिक एवं सर्व शिक्षा अभियान) के द्वारा समय—समय पर मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएं विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी, और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय—समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सोसाईटी के निबंधन की नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रांशु एवं सर्व शिक्षा अभियान, सारण।

बिहार शिक्षा परियोजना सारण,
नगरपालिका चौक, जिला परिषद

छपरा- 841301

पत्रांक.....44/SSA



Bihar Education Project Saran,
Municipal Chowk, Zila Parishad
Chapra- 841301
दिनांक 08/01/2019

प्रेषक,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा० शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान, सारण।

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक
डी० ए० भी० पब्लिक स्कूल, छपरा।

विषय – विद्यालय का पता परिवर्तन के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम (11) के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय को वर्ग 1 से वर्ग 8 तक संचालन हेतु 03 वर्ष (25 मार्च 2017 से 24 मार्च 2020 तक) के अवधि के लिये औपबंधिक पत्रांक SSA/AFF/2016-17/0236/408 दिनांक 25.03.2017 प्रस्तुति प्रदान की गई है। आपके आवेदन के आधार पर विद्यालय का नया भवन निर्माण होने के कारण विद्यालय का पता—नारायण नगर, नेवाजी टोला छपरा से बदलकर सिध्वलिया, पोस्ट-फकुली, मौजा—ब्रह्मपुर, थाना—मुफ्फशील छपरा सारण है।

विश्वासभाजन

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा० शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान, सारण।

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण । (बिहार शिक्षा परियोजना, समग्र शिक्षा, सारण)

पत्रांक 608/.....SS / सारण, दिनांक 17/3/2021

कार्यालय आदेश

कार्यालय पत्रांक SSA/Aff./2016-17/0236/SSA, दिनांक 25.3.2017 द्वारा डी० ए० भी० पब्लिक स्कूल को औपबंधिक प्रस्त्रीकृति तीन वर्षों के लिए दी गई थी जिसकी प्रस्त्रीकृति संख्या 0236 है। औपबंधिक प्रस्त्रीकृति की समाप्ति उपरान्त् अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक/ प्राचार्य/सोसाईटी/द्रस्ट, डी० ए० भी० पब्लिक स्कूल के द्वारा अपने विद्यालय के प्रस्त्रीकृति के नवीकरण हेतु कार्यालय को आवेदन दिया गया। प्राप्त आवेदन के आलोक में प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, छपरा से विद्यालय की जांच कराई गई।

उक्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में डी० ए० भी० पब्लिक स्कूल, सिध्वलिया, छपरा, सारण को उनके औपबंधिक प्रस्त्रीकृति के समाप्ति की तिथि से अगले आदेश तक के लिए प्रस्त्रीकृति का नवीकरण किया जाता है। साथ ही, यदि सरकार को विभागीय कार्य हेतु आपके विद्यालय परिसर की आवश्यकता हुई तो ऐसी परिस्थिति में आप विभाग को अपना विद्यालय परिसर उपलब्ध कराएँगे। विद्यालय के द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के संगत प्रावधानों/शर्तों का उल्लंघन करने पर किसी भी समय प्रस्त्रीकृति समाप्त की जा सकेगी।

R42
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
समग्र शिक्षा, सारण।

ज्ञापांक 608/SS छपरा, दिनांक 17/3/2021

- प्रतिलिपि - अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक/प्राचार्य/सोसाईटी/द्रस्ट, डी० ए० भी० पब्लिक स्कूल, सिध्वलिया, छपरा, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि - सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, सारण/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सारण को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि - जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण/निजी विद्यालय प्रस्त्रीकृति समिति, सारण/जिला पदाधिकारी, सारण को सादर सूचनार्थ समर्पित।

R42
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
समग्र शिक्षा, सारण।